सामुदायिक सम्पर्क समूह का गठन पुनर्गठन सहभागिता एवं परामर्श द्वारा साधारण प्रकृति के विवादो का निस्तारण

Content

Time: 90 min

1. समुदाय सम्पर्क समूह का गठन स्थाई आदेश कमांक–11737 दिनांक–19.09.2001
2. समुदाय सम्पर्क समूह (CLG) कर पुनगर्ठन बाबत– क्रमांक–1043–91 दिनांक–05.02.2010 / 10.02.2010
3. अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करने में सामुदायिक सम्पर्क समूह (CLG)की सहभागिता के संबंध में– क्रमांक– 16687–16760 दिनांक–31.12.2018
4. परामर्श द्वारा घरेलू विवाद, अन्य साधारण प्रकृति के विवाद तथा अत्यन्त साधारण सड़क दुर्घटना के प्रकरणों का निस्तारण। आदेश कमांक 68 दिनांक 31.01.2019

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE RAJASTHAN, JAIPUR

NO: UNDP/2001/CLG/9/11737 DATE: 19.09.2001

To,

1. All Dy. Inspectors General of Police of all Ranges in Rajasthan
2. All District Superintendents of Police in Rajasthan

STANDING ORDER NO. 4/2001

Sub:- (a) Formation of Community Liaison Groups at Police Station level; and
(b) Holding of Seminars of SHOs before December 31,2001

Your attention is invited to letter no. 287-A dated 19.02.2000 sent by Training Directorate, PHQ and letter no. 7120-63 dated 12.10.2000 regarding setting up of **Community Liaison Groups** on the pattern evolved after studies conducted by various consultants deputed by UNDP through BPR&D. You were asked to form Community Liaison Groups vide these letters and it is believed that Community Liaison Groups have been formed in a large number of districts but there is still ample scope for improvement as many districts have still to initiate action on these instructions. In order to facilitate your understanding of the functioning of the Community Liaison Groups, copies of the earlier communications are enclosed herewith for ready reference. You should ensure that at least 1/3rd Police Stations of your district are covered by Community Liaison Groups within this financial year. A list of the selected Police Stations earlier communicated to you vide letter no. UNDP/TRG/2001/3/1804 dated 03.03.2001 is enclosed herewith. It is enjoined on all District Superintendents of Police to ensure that Community Liaison Groups on the lines suggested in the enclosures to letter dated 19.02.2000 are formed and activised in 1/3rd Police Stations named in the list, at the earliest. CLGs at district level and beat level can follow later on.

It has been noticed that Pilot Project Scheme which was started in Police Stations Gumanpura (District Kota City), Mandalgarh (District Bhilwara) and Pratap Nagar (District Bhilwara) have been sending reports but the minutes of the meetings of CLG being recorded are not forwarded.
It is again emphasized that the minutes of the meetings should be recorded in the register to be maintained at the Police Station and a copy of the minutes should be sent to Training Directorate in PHQ invariably. The minutes of proceedings of Pilot Police Stations should be typed neatly in Hindi and a copy sent to Shri Atanu Purkayastha, Director (Police) in M.H.A., Govt. of India, New Delhi every time a meeting of CLG is held in Pilot Police Stations of Kota City and Bhilwara.

3. Meanwhile as the formation of Community Liaison Groups and proper understanding of the issue may take some time in case of districts where action has not been properly initiated so far, all District Superintendents of Police should ensure that SHOs of

all Police Stations in the State are exposed to a three day training seminar at the District Headquarter. As it is not possible to call all SHOs for a period of three days at one time, it is suggested that some SHOs who may be 1/5th or 1/6th or 1/7th of the total strength of the district may be called and made to undergo the said three day seminar at the District Headquarters. The SHOs should be made to listen to the views of eminent educationists, social workers without any political leanings, academicians, lawyers, retired judges, representatives of the merchant organisations and other intellectuals so that they can be exposed to the ideas expressed by such people regarding what the Public expects out of Police. Although it is a fact that sometimes the public expectations may be too high, yet the fact remains that there is a lot of scope for improvement in the behaviour of policemen, specially towards weaker and poorer sections of the society including backward classes, SCs and STs. I want that all the SHOs be exposed to such training seminars for a period of three days at the District Headquarters in small batches and all should have attended such seminars, as per the local convenience and availability of officers by the 31st of December 2001. Compliance reports regarding holding of such seminars should be sent to the Training Directorate of PHQ as and when such seminars are held and it should be ensured that such seminars are <u>not</u> addressed by senior police officers but are addressed only by eminent publicmen who do not belong to any political party.

4. Superintendents of Police G.R.P. Ajmer and Jodhpur should get in touch with concerned District Superintendent of Police of the District holding the seminars for the SHOs and ensure that all SHOs of G.R.P undergo the three day seminar at various District Headquarters as per the availability of officers on scheduled dates. Superintendents of Police G.R.P. shall also adhere to the dead line of 31st of December, 2001

5. Progress regarding the foregoing points shall be monitored every month by Training Directorate and non compliance of these instructions shall be reported to me.

(SHANTANU KUMAR)
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
RAJATHAN, JAIPUR

Copy for information to:

1. All Additional Directors General of Police;
2. All Inspectors General of Police including IGP, Ajmer Range, Ajmer for necessary follow up action.

19/9/2001

Addl. DIRECTOR GENERAL OF POLICE (Training)
RAJATHAN, JAIPUR

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF COMMUNITY LIAISON GROUPS

1. COMMUNITY LIAISON GROUP

CLG represents a group of people belonging to various socio-economic strata of the society within a given geographical area who come together with a common specific objective to improve relationship between public and police of the given area with an aim to foster peace and harmony in the society through cooperation and constant communication, interaction and understanding between the police and the public.

2. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF COMMUNITY LIAISON GROUPS

2.1 The committee as a group should maintain continuous relationship with the community and police department to bridge the gap between both the parties.

2.2 The committee should try to improve the law and order situation in the locality in partnership with the police.

2.3 The committee should listen to the grievances and problems faced by the community people and endeavor for feasible redressal of such grievances in partnership with the police.

2.4 The committee should help the police to prevent and detect crimes in the locality.

2.5 The committee should take the responsibility of spreading awareness among the community regarding legal affairs, procedures of police department and rights and obligations of the citizen. This can be done by educating people through pamphlets, hoarding, organising cultural programmes, seminars, debates and related events and daily contact with people of the locality.

2.6 The committee should be able to mobilise and manage resources toward its long terms sustainability. The committee should not expect or depend on grants or any other financial assistance from the Government. This will help to generate a sense of belongingness among the community members.

2.7 The committee should apprise appropriate authorities about the performance of the police including instances of alleged atrocities. At the same time, it should also monitor the activities taking place in the community. It should act as a pressure group to motivate the police to do their work in proper manner and within the legal frame work. It should help to upkeep the social order through preventing communal riots and building harmonious relationship in the community.

2.8 The committee should actively follow-up each grievance of the people. If law and order issues are not solved at the beat level committee, the members should take up the issues at the police station level committee.

2.9 Members should be willingly associated with this process and with the spirit of voluntarism. It is expected that the people will serve selflessly and should devote time to this kind of work. Members should be socially aware and involved in social activities.

2.10 The confidentiality of the sources of information should be maintained.

2.11 No member of a CLG shall go to the police station individually in support of any person having grievance. If any complainant's grievance is found to be genuine by a member of the Community Liaison Group, he shall apprise at least two other members of the Community Liaison Group of such complaint and go to the police in a group of 3 members.

2.12 No member of the CLG shall be actively involved in the affairs of any political party or shall be an office bearer of a union.

2.2 ADDITIONAL RESPONSIBILITIES OF P.S. LEVEL COMMITTEE

In addition to the Roles and responsibilities earlier listed, members of police station level Community Liaison Groups shall have the following additional responsibilities

2.2.1 The police station level committee should act as an interface between community and officials from police station and district.

2.2.2. The committee should try to resolve the unresolved issues at the beat level committees – in partnership with police.

2.2.3. The members of the P.S. level committee shall ensure that at the local level CLGs meet periodically and function in a purposeful and effective manner.

3. COMPOSITION OF COMMUNITY LIAISON GROUPS

3.1 The following categories of individuals and representatives of associations and organisations should be members of the CLG :

a. Housewife
b. Local schools, colleges and academic institution (preferably the Principal)
c. Religious associations like Temple, Mosque, Church Committees
d. Industrialist or factory owner
e. Local media person
f. Trade Union

g. Vehicle driver's association/transport owner's
h. Social organisation or Club or NGO
i. Student Union
j. Medical profession
k. Lawyers
l. Slum Dweller, economically and socially weaker sections
m. Senior citizens like ex-serviceman or retired Government employees
n. Beat Constable/Office in-charge of PS
o. Market/Trade association
p. Hawkers

4. SELECTION CRITERION FOR COMMUNITY LIAISON GROUPS

4.1 The member of Community Liaison Groups must be a resident of the area. Citizens with a vision and committed to the cause and interest of people should be included in the committee. The members should behave as responsible citizens. However, it should be clear that any individual with a criminal record, or who is actively involved in politics, or who is an office bearer of a union cannot be member of the Community Liaison Groups. Whenever any person from a Trade or other Union is to be inducted in Community Liaison Group, preference should be given to an ordinary member of the Union rather than an office bearer. The underlying idea is to encourage ordinary citizens to come up and assume leadership in the area of preventing crime and removing social tensions.

4.2 Disqualification for becoming members of CLG

a. Those who have been convicted/accused of any crime.
b. Those who may be involved in disputes over money and property which are likely to attract police interference.
c. Those who have been member of a CLG continuously for three years shall not be made member again at least for two years
d. Those who are known to harbour criminals or are reputed to be professional police witnesses.
e. Any individual with a criminal record.
f. Any individual who is actively involved in politics or who is an office bearer of a Union.

5. STRUCTURE, SIZE AND TENURE O COMMUNITY LIAISON GROUPS

5.1 Structure

The committees should not be too formal in structure. The convenor should be selected turn-wise from the community and the coordinator from the police department. The others will be members. All members will be elected or nominated by the community except the police officer. The representative members will elect or select the Convenor at the police station level committee.

The SHO of a police station will act as a Coordinator in the police station level committee.

5.2. Size

Normally the beat level committees should comprise of 12-15 members. The size of police station level committee will depend on the number of representatives from the beat levels. However, if the SHO feels that the number is not enough to include representatives of each section of a given locality, the number can be increased. The number should be flexible to suit the needs of a given area. But the total membership should not exceed 15.

5.3 Tenure

The tenure of the committee will be of 2 years. One half of the members shall retire at the end of every calendar year. However, to keep continuity, the convenor of the CLG during a particular calendar year shall be from among the members due to retire at the end of the year.

The Community Liaison Group shall meet at least once every month. Informal minutes of the meetings shall be recorded by the convenor in a register to be kept at the police station. This register will be a permanent record of the police station and it shall be the duty of the Station House Officer to maintain it properly and present it to Superintendent of Police and other senior officers visiting the police station, who in turn, shall record their advisory remarks on the margin.

The Station House Officer shall ensure that timely action is taken on the minutes of the meeting and shall also record the results of such actions in the register.

6. SELECTION PROCEDURE AND MONITORING PANEL

The selection panel will comprise of the Superintendent of the Police and District Collector alongwith five other citizen representatives from women, bar association, Indian Medical Association and Principal of academic institute. For the PS level CLG, for the beat level CLG, selective SDPO and SDO/SDM shall replace SP and District Collector on the Selection Panel. However, the criteria and categories mentioned for the composition of CLG can also be used to select citizen's representatives. The SP will finally select the citizen representative in consultation with District Collector. The selection panel will work for three years. After three years the new representatives from the citizen should be brought into the selection panel. The selection panel will be responsible to initiate the formation of CLGs at the beat levels with the help of prospective representative of the police department.

6.1 The selection panel would also work as a monitoring cell. They will monitor the following things :

- Regularity of meetings of CLG

- Record of recommendation
- The appropriate composition of CLG as per characteristics of a given area
- Attendance in CLG meeting
- Public interaction of CLG
- Frequency of public interaction
- Follow up of public grievances

The people will nominate and select their representatives through consensus (through majority where consensus is not possible). We are convinced that this is not possible through formal election. The people will meet in a general meeting at the beat level and select the representative from each beat who may attend meetings of police station level committee.

* * *

(71)

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, सी0आई0डी0 (सी0बी0) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः सीआईडी/सीबी/पीआरसी/सुप-2/1053-91 दिनांकः 5/2/2010
10/2/2010

समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेंज/
जिला पुलिस अधीक्षक,
राजस्थान।

विषयः समुदाय सम्पर्क समूह (CLG) का पुनगर्ठन बाबत

मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 30/11/2009 – 01/12/2009 में समुदाय सम्पर्क समूहों के पुर्नगठन एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के निर्णय की क्रियान्विति के क्रम निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं:

1. राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007, राजस्थान पुलिस नियम, 2008 तथा महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान द्वारा जारी स्थाई आदेश संख्या 2/2007 के अनुसार समुदाय सम्पर्क समूहों का पुनगर्ठन निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए:

- थाना स्तर पर समुदाय सम्पर्क समूह में अधिकतम 11 एवं बीट स्तर पर अधिकतम 5 सदस्यों हों।
- वर्तमान में कार्यरत समुदाय सम्पर्क समूहों के निष्क्रिय अथवा बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जावे।
- आपराधिक प्रकरणों / गतिविधियों एवं असामाजिक कार्यो में लिप्तता दृष्टिगत होते ही ऐसे अयोग्य सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाए।
- समाज के सक्रिय एवं सेवाभाव रखने वाले गणमान्य व्यक्तियों को समुदाय सम्पर्क समूह का सदस्य नियुक्त किया जाए। ✓
- सम्पर्क समूह को व्यापक बनाने के लिए समाज के प्रतिष्ठित एवं प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
- सही सदस्यों के चयन के लिए संबंधित बीट कांस्टेबल/बीट प्रभारी/ हेड मोहरिर थाना/थानाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2. कानून व्यवस्था बनाये रखने में समुदाय सम्पर्क समुहो की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैः

12

- इन का राजस्थान पुलिस नियम, 2008 में वर्णित कार्यो तथा समाज में व्याप्त छोटे–मोटे विवादों के स्थाई हल हेतु पूर्ण उपयोग किया जाये।

- इन निर्देशों की पालना हेतु अपने क्षेत्र के समुदाय संपर्क समूहों के लिए संबंधित थानाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

- वृताधिकारी अपने क्षेत्र के प्रत्येक थाने के विभिन्न सम्पर्क समूह के कम से कम दो प्रतिशत सदस्यों का नियमों के अनुरुप होने का सत्यापन व्यक्तिगत रुप से करेगें।

- जिला पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी इसी प्रकार प्रत्येक थानें के 0.5 प्रतिशत सदस्यों का नियमों के अनुरुप होने का सत्यापन व्यक्तिगत रुप से करेगें।

- सम्पर्क समूह के कार्य की द्वि–मासिक समीक्षा रेंज महानिरीक्षक, पुलिस द्वारा की जायेगी।

- अपराध शाखा द्वारा प्रत्येक तिमाही में समूह के कार्य की समीक्षा की जायेगी।

उपरोक्तानुसार समुदाय सम्पर्क समूहों के पुनर्गठन का कार्य सम्पन्न कर पुनर्गठित समूहों को दिनाक 31/03/2010 तक कियाशील किया जाये।

भवदीय,

(कन्हैया लाल बैरवा)
अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस
(अपराध), राजस्थान, जयपुर।

Except local Delivery
Recd
12.05/10

(1)

42(6)

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी.(अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—सीआईडी/सीबी/PRC/2018/16687-16760 दिनांकः—31—12—2018

समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज / पुलिस आयुक्त जयपुर /जोधपुर।
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त जयपुर /जोधपुर
मय जीआरपी अजमेर /जोधपुर।

विषय : अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करने में सामुदायिक सम्पर्क समूह (CLG) की सहभागिता के संवंध में।

महोदय,

अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करने के लिए सामुदायिक सम्पर्क समूह (CLG) संस्था को विकसित किया गया है। नियमित रूप से होने वाली पुलिस सामुदायिक सम्पर्क समूह बैठकों में आमजन की पुलिस से संवंधित समस्याओं को उठाया जाता रहा है। इन बैठकों की कार्यवाही विवरण प्रत्येक बैठक के सम्पूर्ण होने पर आवश्यक रूप से तैयार किया जाना चाहिए, जिससे उठाई गई समस्याओं का समयवद्व निराकरण / समाधान हो सके। अपराध नियंत्रण में जनता की सहभागिता इसमें एक प्रबल अवसर है। इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर चरणवद्व एवं एक तय समय सीमा में निराकरण करने से इस संस्था की सही उपयोगिता हासिल की जा सकती है।

अपराध नियंत्रण में सामुदायिक सम्पर्क समूह की सकिय भूमिका सुनिश्चित करने के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक बैठक के पश्चात एक कार्यवाही विवरण (Meeting Note) बनाया जावें एवं किसी एक प्रमुख समस्या के निराकरण की चरणवद्व कार्य योजना बनाई जावें। जिला पुलिस अधीक्षक /पुलिस उपायुक्त स्वयं इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेगें तथा महानिरीक्षक पुलिस रेंज /पुलिस आयुक्तगण इसमें गुणात्मक सफलता अर्जित करने हेतु सकारात्मक पर्यवेक्षण करेगें।

अभी तक की बैठकों के कार्यवाही विवरण के अभिलेखन की कमी के बावजूद यह ध्यान में आया है कि अधिकांश बैठकों में शहरों /कस्बों में मुख्य बाजारों एवं प्रमुख रास्तों पर यातायात की विकट समस्या को पुरजोर रूप से उठाया गया है, परन्तु उसके समाधान हेतु कोई प्रभावी प्रयास नही किए गए हैं। इलाके में छेड़खानी, शराब पीकर हुड़दंग मचाने की प्रवृति तथा युवाओं को नशीली वस्तुओं की अवैध सप्लाई आदि कई जन—समस्याओं को भी इन बैठकों में उठाया जाता रहा हैं, परन्तु इनके निराकरण की कोई सुव्यवस्थित कार्ययोजना में कमी रहने की बात भी सभी करतें है। अतः पुलिस सामुदायिक सम्पर्क समूह की बैठकों में उठाई गई जन—समस्याओं (पुलिस से संबंधित) के निराकरण हेतु वर्ष 2019 में प्रत्येक तिमाही में एक विशेष अभियान (Special Drive) संचालित किया जावेगा जिसमें इन समस्याओं का चरणबद्व, एक तय

Scanned by CamScanner

समय सीमा में समाधान करने का एक प्रभावी प्रयास किया जावेगा। इसकी प्रथम कड़ी में *दिनांक 01.01.2019 से 31.01.2019 तक प्रत्येक थाने के एक मुख्य बाजार अथवा प्रमुख रास्तें में सुगम यातायात सुनिश्चित करने हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है,* जिसमें सामुदायिक सम्पर्क समूह के सदस्यों की सकिय सहभागिता से पुलिस द्वारा उन प्रमुख बाजारों /मार्गों में साथ–साथ भ्रमण कर यातायात को सुगम किया जावेगा। स्वीकृत/पदस्थापित यातायात पुलिस की नफरी के साथ–साथ संबंधित थाने के बीट अधिकारी भी इसमें सकिय भूमिका निभाएगें। प्रथम सप्ताह में चालान को छोडकर अन्य सभी समझाईश, पाबंदी एवं सहभागिता पर जोर दिया जावे। अस्थायी अतिक्रमण रोकने में संबंधित स्वायतशासी सस्थाओं/लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इत्यादि संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जावे। इस व्यवस्था को एक बार लागू कर स्थायित्व प्रदान करने के लिए एवं अपेक्षित सुधार लाने हेतु ट्रेफिक वार्डन नियुक्त किए जावें जो जन–पुलिस मित्र बनकर लोगों का समझा सकें एवं आवश्यकतानुसार यातायात के नियमों की पालना में पुलिस का सकिय सहयोग कर सकें।

समस्त थानाधिकारी, वृताधिकारी, अति0 पुलिस अधीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक तथा रेंज, महानिरीक्षक से इस *"जन सहभागिता से अपराध नियंत्रण"* के अभियान में सकिय भूमिका की विशेष अपेक्षा की जाती है। जिस मार्ग पर उक्त अभियान शुरू किया जाना है उसका एक फोटो अवश्य लिया जाए, ताकि आप द्वारा जन सहभागिता से किए गये सकारात्मक कार्य का बेहतर संदेश जनता तक पहुंच सके। इस अभियान में अर्जित की गई उप... समय–समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा आपसे एक सरल प्रपत्र के माध्यम से मंगाई जावेंगी। जिन्हें समय पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

31/12/18

(भगवान लाल सोनी),
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
सी0आई0डी0(अपराध शाखा),
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी :– निम्नांकित को सूचनार्थ :–

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

31/12/18

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
सी0आई0डी0(अपराध शाखा),
राजस्थान, जयपुर।

Scanned by CamScanner

अति– आवश्यक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक– व्ही 15(5) कम्यू. पुलिसिंग/2019/ 68 दिनांक 21.1.19

आदेश

विषयः– परामर्श द्वारा घरेलू विवाद, अन्य साधारण प्रकृति के विवाद तथा अत्यन्त साधारण सड़क दुर्घटना के प्रकरणों का निस्तारण।

मानव स्वभाव है कि कभी भी किसी भी विषय पर एकमत नहीं हो पाता। अतः छोटे–मोटे मतभेद आपसी झगड़ों का कारण बन जाते हैं जिसके फलस्वरूप छुट–पुट अपराध की घटनाएं घटित हो जाती हैं। कभी–कभी यही मतभेद गम्भीर रूप धारण कर लेते हैं जिनकी परिणिति गम्भीर प्रकृति के अपराधों के रूप में होती है।

2. जब कभी आपसी मतभेदों को लेकर होने वाले छोटे–मोटे झगड़े मारपीट जैसे साधारण अपराध का रूप ले लेते हैं तो सम्बन्धित पक्ष कार्रवाई हेतु पुलिस थाना में पहुंचते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में समय, श्रम एवं धन का अपव्यय होता है। अधिकांश सामान्य प्रकृति के प्रकरणों में उन्मोचन (Discharge)/प्रताड़ना(Admonition), राजीनामा (Compounding) अथवा जुर्माने के रूप में निर्णय होता है। अन्त में अधिकांश मामलों में पक्षकार आपसी राजीनामा के माध्यम से प्रकरण को निपटाने हेतु सहमत होते है।

3. एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि पुलिस में पंजीबद्ध होने वाले कुल अपराधों में से लगभग 75 से 80 प्रतिशत अपराध सामान्य प्रकृति के होते हैं जो मुख्यतः आपसी विवादजनित होते हैं तथा मात्र 20 से 25 प्रतिशत प्रकरणों में ही पुलिस को व्यवसायिक (Professional) व आदतन अपराधियों द्वारा कारित अपराधो का अन्वेषण करना होता है। परन्तु विडम्बना यह है कि पुलिस इन छोटे–मोटे प्रकरणों के अन्वेषण से ही स्वयं को मुक्त नहीं कर पाती क्योंकि न केवल इनकी संख्या अधिक है अपितु काफी अधिक संख्या में लोग इसमें उलझे रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायिक व आदतन अपराधी बेखौफ होकर अपराध कारित करते रहते हैं। ऐसे में समाज को पुलिस विभाग से जो सेवा प्राप्त होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है।

4. यह प्रश्न विचारणीय है कि जब समस्त प्रक्रिया का अन्त राजीनामे से ही होना है तो क्या दोनो पक्षकारों को अपना समय एवं धन व्यय करना चाहिए? अथवा उन्हें अपने मतभेदों को दूर करने के लिए किसी अन्य प्रक्रिया को अपनाना चाहिए? जो कार्रवाई (राजीनामा इत्यादि) लम्बे समय, श्रम एवं धन का व्यय करने के उपरान्त करनी हो उसे पहले निपटा कर लेना ही इसका बेहतर विकल्प है।

5. उपरोक्त सभी के मध्यनजर राजस्थान के समस्त जिलों में घरेलू विवाद, अन्य साधारण प्रकृति के विवाद तथा अत्यन्त साधारण श्रेणी के सड़क दुर्घटना के प्रकरणों के पंजीकरण से पूर्व, अन्वेषण के दौरान तथा अन्वीक्षा (ट्रायल) के दौरान सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी.एल.जी.) के सदस्यों के सहयोग से परामर्श के आधार पर मूल विवाद का स्थाई हल करने के सार्थक [illegible] किये जाने की महती आवश्यकता है। समाज को विवादों से

बचाने, अपराधों में कमी लाने तथा शान्तिपूर्ण समाज की स्थापना हेतु प्रो-एक्टिव कार्यवाई के रूप में साधारण प्रकृति के आपसी विवादों को हल करने हेतु वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाया जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

(1) सर्वप्रथम सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी.एल.जी.) सदस्यों के सहयोग से बीट कानि0 / बीट प्रभारी / थानाधिकारी / वृत्ताधिकारी द्वारा व्यापक सम्पर्क कर सी.एल.जी. तथा जन सहभागिता बैठकों के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाने हेतु वातावरण निर्मित किया जाए। इस कार्य में सम्मिलित सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी.एल.जी.) सदस्य सक्रिय होने चाहिए तथा इन्हें भली-भाँति प्रशिक्षित किया जाए।

(2) कोर्ट मुंशी द्वारा तारीख पेशीवार अन्वीक्षाधीन प्रकरणों की पंजिका से निकट भविष्य के न्यायालय में लम्बित साधारण प्रकृति के प्रकरणों की सूचना बीट अधिकारी (कानि0) को उपलब्ध कराई जाए जिससे प्रकरण से संबंधित सभी पक्षों का सम्पर्क कर आगामी तारीख पेशी पर प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी.एल.जी.) के सदस्यों के माध्यम से प्रेरित किया जा सके तथा आवश्यकतानुसार थानाधिकारी व बीट प्रभारी भी इस कार्य में सहयोग करेंगे।

(3) अभियुक्तों के सम्मन, जमानती वारण्ट, गिरफ्तारी वारण्ट की तामील के समय भी सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी.एल.जी.) के सदस्यों के माध्यम से परामर्श कर संस्वीकृति अथवा राज़ीनामा के प्रयास किये जाएं। धारा 265 (क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंकितानुसार उपर्युक्त मामलों में अभियुक्त का अभिवाक्-चर्चा (Plea Bargaining) हेतु भी परामर्श दिया जा सकता है ताकि अभियुक्त कम सजा के बदले अपराध स्वीकार करके व पीडित को हुए नुकसान एवं खर्चे की एवज में क्षतिपूर्ति विचारण में देरी एवं कठोर सजा से बच सके।

(4) प्रकरण से संबंधित पक्षों को परामर्श हेतु मानसिक रूप से तैयार किया जाए। इस कार्य हेतु भी सामुदायिक सम्पर्क समूह के सदस्यों की सहायता ली जाए।

(5) परामर्श हेतु स्वेच्छा से तैयार होने पर ही परामर्श की कार्यवाई प्रारम्भ की जाए। परामर्श कार्यवाई प्रारम्भ करने से पूर्व परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा छाप अगुष्ठ सहित इस आशय का आवेदन-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाए कि वह अभी कानूनी कार्यवाई नहीं कराना चाहता है एवं स्वेच्छा से प्रकरण का सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी.एल.जी.) सदस्यों के परामर्श से निपटाना चाहता है।

(6) परामर्श यथासंभव गाँव / मौहल्ले में ही प्रदान करने के प्रयास किये जाएं। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो अपरिहार्य परिस्थितियों में ही यह प्रक्रिया थाने में भी सम्पन्न हो सकती है।

(7) परामर्श में सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी.एल.जी.) के सदस्य व आवश्यकता पड़ने पर संबंधित समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाए। आवश्यकतानुसार थानाधिकारी, बीट प्रभारी व बीट अधिकारी (कानि.) भी इस कार्य में सहयोग करेंगे।

(8) अत्यन्त साधारण सडक दुर्घटना के मामलों में परामर्श के समय यथासंभव संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाए ताकि प्रकरण से संबंधित पक्ष उपस्थित रह कर सर्वमान्य हल हेतु प्रयास कर सकें।

(9) इसी प्रकार अन्वेषणाधीन प्रकरणों एवं अन्वीक्षाधीन प्रकरणों में भी परामर्श प्रदान किया जाए परन्तु अन्वेषणाधीन प्रकरण के निष्कर्ष पर विवाद के निस्तारण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकरण का निस्तारण पूर्णतया गुणावगुण के आधार पर विधि के अनुरूप किया जाएगा।

(10) संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराधों, सिविल विवाद एवं रेवेन्यू विवाद के सभी प्रकरणों में परामर्श के माध्यम से हल निकालने का प्रयास किया जाए ताकि समस्या का स्थाई समाधान हो जाए एवं यह विवाद भविष्य में बड़े अपराध का रूप न ले सके।

(11) परामर्श के समय विवाद का मूल कारण ज्ञात कर विवाद को समाप्त कराने का प्रयास किया जाएगा। यदि मूल विवाद समाप्त नहीं हो तो आक्रामक पक्ष अथवा परिस्थिति अनुसार दोनों पक्षों को निरोधात्मक कार्रवाई कर पाबंद कराया जाएगा व संज्ञेय अपराध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विधि के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

(12) विवाद में किसी भी पक्ष के आपराधिक प्रवृत्ति के होने अथवा जघन्य (Heinous) अपराध होने की स्थिति मे परामर्श की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए।

(13) कोर्ट मुंशी द्वारा तारीख पेशीवार अन्वीक्षाधीन प्रकरणों की पंजिका से निकट भविष्य में आने वाले प्रकरणों की सूचना बीट अधिकारी (कानि.) को उपलब्ध कराई जाएगी जो प्रकरण से संबंधित सभी पक्षों को सम्पर्क कर आगामी तारीख पेशी पर प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु सी.एल.जी. के सदस्यों के माध्यम से प्रेरित करेगा। आवश्यकतानुसार थानाधिकारी व बीट प्रभारी भी इस कार्य में सहयोग करेंगे

(14) अभियुक्तों के सम्मन, जमानती वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट की तामील के समय भी सी.एल.जी. सदस्यों के माध्यम से परामर्श कर सस्वीकृति अथवा राजीनामा के प्रयास किए जाएंगे।

(15) परामर्श सफल होने की स्थिति में संबंधित पक्षकार से संलग्न प्रारूप में पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाए।

(16) सफल परामर्श वाले प्रकरणों में दोनों पक्षकारों के नाम पते व दूरभाष संख्या संबंधित बीट अधिकारी (कानि.) व बीट प्रभारी को आवश्यक रूप से दिए जाए। बीट अधिकारी (कानि.) भ्रमण के समय ऐसे पक्षकारों से संपर्क कर पक्षकारों के बीच स्थाई समाधान एवं शांति की पुष्टि करेगा तथा पुनः विवाद होने की स्थिति में परामर्श की प्रक्रिया को पुनः प्रारम्भ कराएगा।

(17) इस अभियान की सफलता हेतु स्वेच्छा, सर्वमान्यता तथा पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक है। अतः इन सभी का विशेष ध्यान रखा जाए।

6. **पीड़ित पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष हेतु परामर्श के दौरान ध्यान रखे जाने वाले बिन्दु परिशिष्ट 1 व परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।**

7. **परामर्श हेतु विवादों का चयन :–**

परामर्श हेतु विवादों को चिन्हित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं :-

(1) गत पाँच वर्षों में पंजीबद्ध अभियोगों, असंज्ञेय–अपराधों, नुक्स–अमन की सूचना तथा रपट मजरूबी में से उपयुक्त मामलों को सूची में सम्मिलित किया जाए। किसी भी यौन अपराध, सम्पत्ति संबंधी अपराध तथा अन्य गंभीर प्रकृति के अपराध के मामले मे प्रकरण का अन्वेषण पूर्ण होने से पूर्व परामर्श प्रदान नहीं किया जाए।

(2) सामुदायिक समन्वय समूह के सदस्यों, बीट कॉन्स्टेबल तथा बीट प्रभारी के माध्यम से वर्तमान में क्षेत्र में व्याप्त विवादों को चिन्हित कर सूची में सम्मिलित किया जाए।

(3) सिविल न्यायालयों में विचाराधीन विवादों में से उपयुक्त मामलों को सूची में सम्मिलित किया जाए।

(4) राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन विवादों में से उपयुक्त मामलों को सूची में सम्मिलित किया जाए।

(5) पैंडिंग ट्रायल प्रकरणों में से उपयुक्त मामलों को विवादों की सूची में सम्मिलित किया जाए।

(6) शांति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई के प्रकरणों को विवादों की सूची में सम्मिलित किया जाए।

(7) थाने पर प्राप्त समस्त परिवादों को सूची में सम्मिलित किया जाए।

(8) अन्य स्त्रोत एवं उपायों से विवादों की सूचना एकत्रित कर सूची में सम्मिलित किया जाए

8. परामर्श प्रक्रिया के दौरान निम्न सावधानियाँ रखी जाएं :--

(1) अपराध पंजीबद्ध न कराने का निर्णय पूर्णतया स्वैच्छिक होना चाहिए। ऐसे मामलों में परिवादी से प्रारूप--I में पत्र प्राप्त किया जाए।

(2) इसी प्रकार अपराध संस्वीकृति अथवा राजीनामा का निर्णय भी पूर्णतः स्वैच्छिक होना चाहिए।

(3) संस्वीकृति अथवा राजीनामा करने वालों के मन पूर्णतया साफ होने चाहिए तथा आपसी मतभेद समाप्त हो जाने चाहिए।

(4) राजीनामा किसी भी परिस्थिति में किसी भी पक्ष विशेष के लाभ--हानि हेतु नहीं होना चाहिए।

(5) पाबंद होने वाले व्यक्ति को तत्संबंधी शर्तों की पालना हेतु मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए।

(6) परामर्शदाता पूर्णतया निष्पक्ष तथा निर्लिप्त होने चाहिए। यदि किसी पक्ष को व्यक्ति विशेष से एतराज (Objection) हो तो उसे परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों की लिखित सहमति से सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी.एल.जी.) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(7) यदि कोई भी पक्षकार किसी भी समय परामर्श की प्रक्रिया के स्थान पर कार्रवाई की इच्छा प्रकट करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

(8) परामर्श के सफलतापूर्वक समाप्त होने पर प्रारूप-- II में पूर्ति करवाई जाकर रिकार्ड में रखा जाए।

(9) परामर्श हेतु चयनित प्रत्येक प्रकरण की पत्रावली संधारित की जाए जिसमें की गई कार्रवाई का दिनांक वार विवरण भी अंकित किया जाए।

(10) प्रत्येक थाने की डी.ओ. डेस्क के पास एवं सूचना पट्टिका में सूचना कार्ड चस्पा कर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

(11) प्रारूप संख्या III से XI तक प्रारूप में नियमित रूप से पूर्ति करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9. टिप्पणी:--

(1) संस्वीकृति अथवा शमन योग्य (Compoundable) प्रकरणों में संस्वीकृति राजीनामा, चालान प्रस्तुत करते समय, अन्वीक्षा के मध्य में अथवा वारंट की तामील के समय कभी भी सम्भव है। अतः परामर्श अभियोग पंजीबद्ध होने से पूर्व से लेकर अन्वीक्षा के पूर्ण होने से पूर्व सभी अवस्थाओं में लाभकारी है।

(2) दिन--प्रतिदिन उत्पन्न हो रहे विवादों का निस्तारण, ... आवश्यक रूप से बिना किसी देरी के सभी बीट क्षेत्रों में नियमित व निरन्तर रूप से किया जाता रहेगा।

(3) इस परामर्श अभियान को यह नहीं माना जाए कि साधारण प्रकृति के अपराधों का पंजीकरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। वरन् यह आवश्यक है कि परामर्श के द्वारा मूल विवाद के निस्तारण का प्रयास किया जाए ताकि सम्बन्धित पक्षों में विवाद ही न रहे तथा उस विवाद के फलस्वरूप कोई अपराध घटित न हो। वस्तुतः यह समस्त प्रक्रिया समाज को विवादों से बचाने, अपराधों में कमी लाने तथा एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना हेतु प्रो-एक्टिव कार्रवाई है।

(4) उपरोक्तानुसार की गई कार्रवाई की मासिक सूचना प्रत्येक माह की 01 तारीख को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कम्यूनिटी पुलिसिंग, राजस्थान, जयपुर को सलग्न प्रारूपों में Master Mind के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(5) इन निर्देशों की आड में पद के दुरूपयोग के प्रकरणों को अत्यन्त गम्भीर मान विभागीय कार्रवाई की जाएगी तथा उपयुक्त मामलों में आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध किए जाएंगे।

यह प्रक्रिया पूर्णतया स्वैच्छिक होगी अर्थात अभियोगी पक्ष की इच्छा पर निर्भर करेगा तथा पारदर्शिता बनाए रखने हेतु सी.एल.जी. सदस्यों व आवश्यकतानुसार समाज के अन्य सदस्यों को सम्मिलित करना आवश्यक होगा। इस संबंध में थाने पर रखे जाने वाले रिकार्ड तथा मासिक आंकड़े प्रेषित करने सम्बन्धित ग्यारह प्रारूप प्रेषित किये जा रहे हैं जिनमें थाने पर प्राप्त समस्त रिपोर्ट का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।

सलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः-

1. महानिदेशक पुलिस ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी. / प्रशिक्षण / कानून-व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर
3. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान मय पुलिस आयुक्त जयपुर / जोधपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर / जोधपुर।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

पीड़ित पक्ष हेतु परामर्श के दौरान ध्यान रखे जाने वाले बिन्दु

(1) अपराध पंजीबद्ध कराने, अपराध का अन्वेषण कराने हेतु साक्षीगण का साक्ष्य हेतु तैयार करने व उन्हें लाने/ले जाने, चिकित्सकीय परीक्षण कराने, वीफ बनवाने, चालान प्रस्तुत करवाने, न्यायालय में अन्वीक्षा के समय स्वयं के व साक्षीगण के आने-जाने में अत्यधिक समय व धन का अपव्यय होता है।

(2) अभियोग पंजीबद्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि उसका चालान ही होगा। यह वास्तविकता व उपलब्ध साक्ष्य पर निर्भर करता है। अन्वेषणकर्ता की निष्पक्षता भी इसके लिये आवश्यक है।

(3) चालान होने के पश्चात अनेक प्रक्रियाओं के कारण व अभियुक्त पक्ष द्वारा कानून की पेचीदगियों का लाभ उठाकर अन्वीक्षा में अनावश्यक रोड़े अटकाए जाते है जिसके फलस्वरूप पीड़ित पक्ष का अनावश्यक दोहन होता है और उसे बार-बार यह अहसास होता है कि पूरी व्यवस्था मिलकर बार-बार उसके साथ अन्याय कर रही है।

(4) अधिकांश साधारण प्रकृति के अपराधों में पक्षकार अततः थक हारकर और अपने काफी नुकसान होने के बाद आपसी समझौते पर मजबूर होते हैं परन्तु तब तक उन्हें अपूरणीय क्षति हो चुकी होती है।

(5) यदि प्रकरण की अन्वीक्षा पूर्ण भी हो जाए तो भी अधिकाश ऐसे प्रकरणों में न्यायालयों को अभियुक्त पक्ष को उन्मोचित, दोषमुक्त, प्रताडना और परिवीक्षा पर छोड़ना आवश्यक होता है। कुछ ही प्रकरणों में उन्हें जुर्माने अथवा जेल की सजा हो पाती है।

(6) ऐसे में यह सर्वोत्तम है कि प्रकरण पंजीबद्ध कराकर इस त्रासदी से गुजरने के स्थान पर आपसी सहमति से व सूझ-बूझ के साथ समस्या का सर्वमान्य हल निकाला जाये, ताकि विवाद समाप्त होकर शान्ति बनी रह सके।

(7) इसके फलस्वरूप आपसी भाईचारे की भावना बढ़ेगी, मानसिक तनाव से बचा जा सकेगा, धन व समय का अपव्यय नहीं होगा, मन निर्मल होगा और अपराध की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।

(8) यह आवश्यक है कि अपराध पंजीबद्ध न कराने अथवा दोनों पक्षों द्वारा राजीनामा करने का निर्णय पूर्णतया स्वैच्छिक होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भी दबाव नहीं होना चाहिए।

(9) यदि राजीनामा किया जाता है तो यह पूर्णतया निष्पक्ष होना चाहिए व किसी एक पक्ष को लाभ पहुँचाने की नीयत से नहीं होना चाहिए।

(10) इसके फलस्वरूप किसी भी पक्ष के स्वाभिमान पर विपरीत असर नही होना चाहिए अर्थात आपसी राजीनामा किसी एक पक्ष के स्वाभिमान की कीमत पर नहीं होना चाहिए

(11) पीड़ित पक्ष को पूर्व के प्रकरण पंजीबद्ध न कराने/राजीनामे के निर्णय से संतुष्ट लोगों का उदाहरण दिया जा सकता है तथा उनसे मिलवाया भी जा सकता है। ऐसे संतुष्ट लोगों को परिवर्तन ऐजेंट (Change Agent) के रूप में उपयोग लिया जा सकता है।

अभियुक्त पक्ष हेतु परामर्श के दौरान ध्यान रखे जाने वाले बिन्दु

(1) यदि अभियुक्त पेशेवर व आदतन अपराधी नहीं है तथा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अथवा किसी भी कमजोर क्षण में कोई साधारण प्रकृति का अपराध कर बैठा है तो उसे अपराध के अन्वेषण और न्यायालय में अन्वीक्षा की लम्बी, थका देने वाली महगी एवं जटिल प्रक्रिया से बचाया जा सकता है।

(2) अभियुक्त का पूछताछ, जमानत, फरारी, वकील की फीस, थाने और न्यायालय में अनावश्यक धन और समय व्यय होता है।

(3) यह ही नहीं, उसे अपराध बोध की मानसिक वेदना भी झेलनी पड़ती है।

(4) यदि उसका अतर्मन साफ है तथा वह पुन. अपराध में लिप्त नही होने हेतु कृत सकल्प है तो उसके पास राजीनामे और अपराध सस्वीकृति के विकल्प हर समय खुले है।

(5) आपसी राजीनामा तो अपराध पंजीबद्ध होने से पूर्व भी अनौपचारिक रूप से किया जा सकता है परन्तु अपराध पंजीबद्ध होने के बाद यह न्यायालय में ही सम्भव है।

(6) न्यायालय में राजीनामा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अन्तर्गत अंकित धाराओं में ही सम्भव है।

(7) राजीनामा के फलस्वरूप अभियुक्त की दोष सिद्धि नहीं होती।

(8) अपराध सस्वीकृति के फलस्वरूप न्यायालय अभियुक्त को विधि के अनुसार किसी भी दण्ड से दण्डित कर सकता है परन्तु धारा 360 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानानुसार पहली बार दोष सिद्धि पर न्यायालय उसे प्रताडना अथवा परिवीक्षा पर छोड सकता है। इसी प्रकार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानानुसार 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ना आवश्यक है। परिवीक्षा पर छोड़ते समय अभियुक्त को कुछ समय के लिए जमानत—मुचलका पर नेक चलनी के लिए पाबद किया जाता है। यदि अभियुक्त इन शर्तों का उल्लघन करता है तो उसे सजा दी जा सकती है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत प्रताडना/परिवीक्षा पर रिहा किया गया व्यक्ति दोष—सिद्धि की किसी निरर्हता से ग्रसित नहीं होता।

(9) राजीनामा हेतु किसी भी समय तथा अपराध संस्वीकृति हेतु चालान के समय, अन्वीक्षा के दौरान अथवा वारन्ट की तामील के समय कभी भी कार्रवाई की जा सकती है।

(10) इसके फलस्वरूप आपसी भाई—चारे की भावना बढ़ेगी, मानसिक तनाव से बचा जा सकेगा, धन व समय का अपव्यय नहीं होगा, मन निर्मल होगा और अपराध की प्रवृति पर अंकुश लगेगा।

(11) यह आवश्यक है कि दोनों पक्षों द्वारा राजीनामा करने अथवा अभियुक्त के द्वारा संस्वीकृति का निर्णय पूर्णतया स्वैच्छिक होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं हो।

(12) यदि राजीनामा किया जाता है तो वह पूर्णतया निष्पक्ष होना चाहिए व किसी एक पक्ष को लाभ पहुँचाने की नीयत से नहीं होना चाहिए।

(13) इसके फलस्वरूप किसी भी पक्ष के स्वाभिमान पर विपरीत असर नहीं होना चाहिए अर्थात आपसी राजीनामा किसी एक पक्ष के स्वाभिमान की कीमत पर नहीं होना चाहिए

(14) इसी प्रकार भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 108 व 110 के अन्तर्गत इस्तगासा होने पर अपरिवादी (गैरसायल) को स्वेच्छा से पाबद होने हेतु प्रेरित किया जा सकता है ताकि वह महीनों तक चलने वाली जॉच प्रक्रिया से बच सके तथा उसे समय व धन की हानि न हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह पाबंदी की अवधि में किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त न हो तथा पाबंदी की शर्तों की पूर्ण पालना करे। इसके लिए भी उपरोक्त शर्तें यथा स्वेच्छा आवश्यक है तथा यह भी उस व्यक्ति के लिए ठीक उपरोक्तानुसार अत्यन्त उपयोगी है।

(15) अभियुक्त को पूर्व में अपराध संस्वीकृति अथवा राजीनामा के निर्णय से संतुष्ट अभियुक्तों अथवा स्वेच्छा से पाबंद हुए व्यक्तियों का उदाहरण दिया जा सकता है तथा उनसे मिलवाया भी जा सकता है। ऐसे संतुष्ट व्यक्तियों को परिवर्तन एजेन्ट (Change Agent) के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है।

सूचना कार्ड

इस थाने पर अभियोग पंजीबद्ध करने से पूर्व अथवा बाद में सामुदायिक सम्पर्क समूह के सदस्यों द्वारा निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। यह लोग समाज सेवा के उद्देश्य से पीड़ित एवं अन्य पक्ष को समस्या के शान्तिपूर्ण एवं सर्वमान्य हल के विभिन्न विकल्पों की जानकारी देते हैं तथा सभी पक्षों को आपराधिक न्याय प्रणाली के स्थान पर अन्य विकल्प चुनने हेतु प्रेरित करते हैं। सभी आगन्तुकों से अनुरोध है कि यदि वे चाहें तो इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठाएं। इस सेवा का लाभ उठाना पूर्णतया स्वैच्छिक है।

उपरोक्त सूचना कार्ड डी.ओ. डेस्क के पास एवं सूचना पट्टिका पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

प्रारूप–III

पुलिस थानों पर प्राप्त रिपोर्टों के सम्बंध में रखी जाने वाली पंजिका

क्र. स.	दिनांक व समय	रो. आ. रिपोर्ट क्रमांक	परिवादी का नाम / उपनाम, पिता का नाम, आयु, जाति, स्थाई व अस्थाई पता	अभियुक्तगण का नाम / उपनाम, पिता का नाम, आयु, जाति, स्थाई व अस्थाई पता	सूचित किये गए स्वयसेवक का नाम, यदि सूचित नही किया गया तो कारण	सूचित करने का समय व दिनाक	राजीनामा हाँ / नही	इस्तगासा क्रमांक, धारा व दिनाक व नतीजा (स्वेच्छा से पाबंद / जॉच) यदि किया गया हो तो	यदि अभियोग पजीबद्ध हुआ तो अभियोग क्रमांक व धारा	अभियोग का नतीजा				अन्य विवरण
										अन्तिम रिपोर्ट	चालान			
											संस्वीकृति	राजीनामा	अन्वीक्षा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रारूप– IV

पुलिस थानों पर प्राप्त अभियुक्तगण के गिरफ्तारी व जमानती वारन्टों तथा सम्मन के संबंध में रखी जाने वाली पंजिका

क्र.स.	वारन्ट / सम्मन रजिस्टर क्रमांक	अभियुक्त का नाम पता आदि	न्यायालय पत्रावली संख्या	अपराध क्रमांक	अपराध धारा	अपराध की प्रवृति साधारण / असाधारण	तामील की दिनांक व समय	यदि साधारण प्रवृति का है तो सूचित किये गए C.L.G. सदस्य का नाम। यदि सूचित नहीं किया गया तो कारण	सूचित करने की दिनांक व समय	नतीजा संस्वीकृति / राजीनामा / अन्य	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप– V

पुलिस थानों पर प्राप्त अभियुक्तगण के गिरफ्तारी व जमानती वारन्टों तथा सम्मन के संबंध में रखी जाने वाली पंजिका

क्र.स.	इस्तगासा क्रमाक व दिनाक	परिवादी का नाम / उपनाम, पिता / पति का नाम, आयु, जाति, स्थाई व अस्थाई पता	अपरिवादी का नाम / उपनाम, पिता / पति का नाम, आयु, जाति, स्थाई व अस्थाई पता	सूचित किये गए C.L.G. सदस्य का नाम। यदि सूचित नही किया गया तो कारण	सूचित करने की दिनाक व समय	नतीजा स्वेच्छा से धारा 117 द.प्र.स. के अन्तर्गत पाबन्द / अन्य	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

मासिक तालिकाएं

थाने पर प्राप्त रिपोर्ट की सूचना

... प्राप्त ... की संख्या साधारण प्रकृति की रिपोर्ट		पूर्व से लंबित साधारण प्रकृति की रिपोर्ट		योग साधारण प्रकृति की रिपोर्ट (2+3)		बिना परामर्श पंजीबद्ध अपराधों की संख्या		साधारण प्रकृति की रिपोर्ट												
								परामर्श हेतु सदस्यों को सुपुर्द रिपोर्ट की संख्या		परामर्श के उपरान्त पंजीबद्ध अपराधों की संख्या	परामर्श के फलस्वरूप धारा 107 द.प्र.स. के इस्तगासे के रूप में निस्तारण		परामर्श के फलस्वरूप राजीनामा				परामर्श के फलस्वरूप अन्यथा निस्तारण	लंबित		अन्य विवरण
असंज्ञेय	संज्ञेय	असंज्ञेय	संज्ञेय	असंज्ञेय	संज्ञेय	कुल	साधारण	असंज्ञेय	संज्ञेय		असंज्ञेय	संज्ञेय	इस्तगासे सहित	इस्तगासे सहित	असंज्ञेय	संज्ञेय		असंज्ञेय	संज्ञेय	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

साधारण प्रकृति के अपराधों में अभियुक्त के गिरफ्तारी/जमानती वारन्टों व सम्मन की तामील की सूचना

तामील की संख्या		परामर्श के फलस्वरूप साधारण प्रकृति के अपराधों में पेशी के समय		अन्य विवरण
कुल	साधारण प्रकृति के	संस्वीकृति	राजीनामा	
1	2	3	4	5

धारा 107 से 110 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत इस्तगासों की सूचना

		धारा 107 द.प्र.स.	धारा 108 द.प्र.स.	धारा 109 द.प्र.सं.	धारा 110 द.प्र.सं.
प्रस्तुत	इस्तगासे				
	व्यक्ति				
स्वेच्छा से धारा 117 द.प्र.स. में पाबन्द	इस्तगासे				
	व्यक्ति				

प्रारूप– IX

धारा 107 से 110 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत इस्तगासों की सूचना

किस्म		माह के प्रारम्भ मे लम्बित	माह में चालान / इस्तगासे	योग	स्वीकृति	राजीनाम	अन्यथा निस्तारित	माह के अन्त मे शेष
1		2	3	4	5	6	7	8
ापराधिक करण	चालान							
	अनियुक्त							
रोधात्मक करण	इस्तगासे							
	व्यक्ति							

प्रारूप– X

धारा 154(3) दं.प्र.सं. में पंजीबद्ध भा.दं.सं. के अभियोग की संख्या की सूचना

माह	2005							2006							2007						
	पूर्व के अन्वेषणाधीन	पंजीबद्ध	योग	एफ.आर.		चालान	अन्वेषणाणीन	पूर्व के अन्वेषणाधीन	पंजीबद्ध	योग	एफ.आर.		चालान	अन्वेषणाणीन	पूर्व के अन्वेषणाधीन	पंजीबद्ध	योग	एफ.आर.		चालान	अन्वेषणाणीन
				झूठ	अन्य						झूठ	अन्य						झूठ	अन्य		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

प्रारूप– XI

धारा 156(3) दं.प्र.सं. में पंजीबद्ध भा.दं.सं. के अभियोग की संख्या की सूचना

माह	2005							2006							2007						
	पूर्व के अन्वेषणाधीन	पंजीबद्ध	योग	एफ.आर.		चालान	अन्वेषणाणीन	पूर्व के अन्वेषणाधीन	पंजीबद्ध	योग	एफ.आर.		चालान	अन्वेषणाणीन	पूर्व के अन्वेषणाधीन	पंजीबद्ध	योग	एफ.आर.		चालान	अन्वेषणाणीन
				झूठ	अन्य						झूठ	अन्य						झूठ	अन्य		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22